संoसंo –12/पoकo–बजट–11–13/2016 – 35 (12)स्वा

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राoस्वाoकेन्द्र, बिहार।

पटना, दिनांक– 28/02/2019

विषय :– विषय शीर्ष –20–2211001010205/0305 (जिससे एoएनoएमo एवं अन्य कर्मियों का वेतन निकासी किया जाता है) में आवंटित राशि से भुगतान किये जाने हेतु दिशा निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मामले में विभाग को यह सूचना प्राप्त हुई है कि सिविल सर्जन कार्यालयों द्वारा मुख्यालय से आवंटनादेश निर्गत होने के बावजूद वेतन भुगतान हेतु विभिन्न तरह के आदेश एवं प्रतिशपथ–पत्र की मांग की जाती है तथा आवंटनादेश से प्राप्त राशि को असमान रूप से विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि में बांटा जाता है, जिस कारण एoएनoएमo कर्मियों का वेतन ससमय निर्गत नहीं हो पाता है, जो सरकार के लिए अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति का द्योतक है।

उपरोक्त मामले में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय से आवंटनादेश निर्गत होने के तीन दिनों के अन्दर सभी राशि को प्राoस्वाoकेन्द्रों को उपावंटित किया जाय। इस उपावंटन में इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाय कि किसी भी एoएनoएमo का एक महीने का भी वेतन बकाया नहीं रहे तथा यदि राशि की कमी होती है तो सिविल सर्जन स्वयं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर इस बात की सूचना दें। इस मामले में यह भी आदेश दिया जाता है कि उपावंटन के अलावा किसी भी तरह का स्वीकृत्यादेश या प्रतिशपथ–पत्र की मांग ना की जाय तथा पूर्व के किसी भी अवधि के वेतन का भुगतान आवंटनादेश से प्राप्त राशि से सुनिश्चित किया जाय।

इस मामले में मुख्यालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश में उचित रूप से राशि कर्णांकित की जा रही है। अतः भविष्य में किसी तरह के वेतन बकाये की सूचना प्राप्त होती है तो इस मामले में संबधित सिविल सर्जन तथा संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
28/2/19
(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 35 (12)स्वा /स्वाo, पटना,दिनांकः 28/02/2019

प्रतिलिपिः– सभी अपर क्षेत्रीय निदेशक, बिहार को इस मामले की समीक्षा करते हुए प्रत्येक शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष संo–0612–2217681 पर सूचित करने के निदेश के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2/19
सरकार के विशेष सचिव।